



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 206

राँची : 16/3/26

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू-लातेहार T/L निर्माण कुल 126.974 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमंडल-55.865 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-12.247 हे०, एवं राँची वन प्रमंडल-58.862 हे०), वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स पावरग्रिड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 400 के०भी० डी०/सी० पतरातू-लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 126.974 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमंडल-55.865 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-12.247 हे०, एवं राँची वन प्रमंडल-58.862 हे०), अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.01.2026 द्वारा सात (7) बिन्दुओं पर वांछित दस्तावेज/जानकारी ऑनलाईन अपलोड करने की मांग की गई।

उपरोक्त भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.01.2026 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रासंगिक पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2026 एवं पत्रांक 113 दिनांक 14.02.2026/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो के प्रासंगिक पत्रांक 134 दिनांक 20.02.2026 वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 176 दिनांक 24.02.2026 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

Sl.No.	Query raised by MoEF& CC,	Reply
1	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provision of the Van (San Rakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	नोडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 06.02.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
2	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Snarakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NoC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो/मेदिनीनगर/राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि UA has submitted that NOC for Jungle Jhari Area has been obtained for all three District. Same has been uploaded in Additional Documents under Part-I.

Sl.No.	Query raised by MoEF& CC,	Reply																
3	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. official under 3A & 3B of Van Adhinyam, 1980 indicating details chronology of the event for allowing use of forest land without permission.	इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल के द्वारा रिपोर्ट समर्पित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।																
4	The DFO Ranchi in their Part-II reported that the forest area under violation as 0.25 ha and period of violation mentioned as 9.5 years further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त, 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.	<p>इस संबंध में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची प्रतिवेदित किया गया है कि वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्धन कार्य Front line forest staff viz. forest guard एवं forester अपने बीट/सब-बीट में करते हैं, जो कि उनका दायित्व है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स पावर ग्रिड के उम महाप्रबंधक द्वारा वर्ष-2014 से 2018 के मध्य यह टावर निर्माण प्रारंभ कराया गया था। 2017 के सितम्बर में नवनियुक्त वनरक्षी, वन प्रमण्डल में योगदान देना प्रारंभ किये थे।</p> <p>उनके पूर्व वनरक्षी की संख्या निम्नवत् थी-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>पद</th> <th>स्वीकृत बल</th> <th>कार्यरत बल</th> <th>रिक्त</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वन क्षेत्र पदाधिकारी</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>वनपाल</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>वनरक्षी</td> <td>147</td> <td>10</td> <td>137</td> </tr> </tbody> </table> <p>ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि अनेको प्रमार रहने के कारणवश एवं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के बीच नगण्य सीमांकन के फलस्वरूप सरजमीन पर ठोस रूप से इन कार्यों को प्रारंभ होने के पूर्व शत-प्रतिशत रोक पाना अत्यन्त विषमपूर्ण कार्य रहा है।</p> <p>जो वन वाद प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध दर्ज किया गया है। वह पूर्व में ही सूचित किया गया है तथा प्रस्ताव में अंकित किया जा चुका है।</p>	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1	वनपाल	23	18	5	वनरक्षी	147	10	137
पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त															
वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1															
वनपाल	23	18	5															
वनरक्षी	147	10	137															
5	The DFO, Latehar Forest Division in Part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification	इस संबंध में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्र में संलग्न लातेहार वन प्रमण्डल के पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु अपयोजित होने वाले वनभूमि एवं उसके आस-पास के इलाकों में हाथियों का भ्रमण होते रहता है, विगत कई वर्षों में संबंधित मौजों में हाथी से हुए जान माल की विवरणी संलग्न किया गया है।																

Sl.No.	Query raised by MoEF& CC,	Reply
6	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	इस संबंध में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Form -A, Part-III में तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा की गई है, जो परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण एवं अंकित टिप्पणी तथा दिनांक 03.10.2025 को किये गये निरीक्षण एवं अंकित टिप्पणी तथा अनुशंसा अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।
7	As per DSS analysis, following has been observed.	
7(i)	The KML file of forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का संशोधित KML file Part-I में अपलोड कर दिया गया है। KML file की प्रति Pen-drive में संलग्न किया गया है।
7(ii)	It is observed that in the Ramgarh Forest Division, Total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि KML file for CA land (29.44 Ha) has been uploaded earlier on PARIVESH portal. Due to some technical glitch, it was only showing as 13.39 ha. Therefore, KML file for CA land is being uploaded again in PARIVESH portal and it is also provided in pen drive for easy assistance.
7(iii)	As per the DSS analysis the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and is one CA patch the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि The CA land was reviewed again. In patch of Koto village (3.82 Ha) some Soil Moisture Conservation work (contour/trench) was done 5 years back under Climate Change Adaptation Project. No plantation has been done on the patch. In patch of Daridih some agricultural activities are ongoing which will be taken under possession during plantation. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन भूमि का सीमांकन स्पष्ट नहीं होने के कारण ग्रामिणों द्वारा धान की खेती की जाती है जो अस्थायी प्रकृति की है। वन भूमि पर वृक्षारोपण के समय अतिक्रमण मुक्त करते हुए पौधरोपण किया जायेगा। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित मौजा सीरम के आंशिक भाग में पूर्व से वनरोपण किया गया है। अतः सीरम के स्थान पर ग्राम- कीता, थाना-बालुमाथ, थाना नं०-258 में रकबा-53.28 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु Village Map, KML file, Suitability certificate, प्राक्कलन संलग्न किया गया है। इस संबंध में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,

Sl.No.	Query raised by MoEF& CC,	Reply
		<p>राँची प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।</p> <p>साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक 27.02.2026 द्वारा पूर्व में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित मौजा सीरम के आंशिक भाग में पूर्व से वनरोपण किये जाने के कारण वर्तमान में सीरम के स्थान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित ग्राम-कीता, थाना-बालुमाथ, थाना नं०-258 में रकबा-53.28 हे० भूमि का KML file, DGPS Map, SOI topo sheets आदि का Pen-drive में समर्पित किया गया है।</p>

उपरोक्त वन संरक्षकों के प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन पर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकरो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के संदर्भ में समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Pr 16/3/26
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
 वंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

SITE INSPECTION REPORT

Proposal under section 2 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 for Construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in the State of Jharkhand of M/s Power Grid Corporation Limited

Proposal No : FP/JH/TRANS/32955/2018

The site inspection in respect of the proposal was conducted by the undersigned along with Shri Srikant Verma, DFO, Ranchi, Shri V P Kamboj, Deputy Director, Wasteland Development Board, Jharkhand, Shri S K Shashi, DGM PGCIL, Shri Kuldeep Kumar, Engineer, PGCIL, Shri Basudev Singh, Jr Engineer, PGCIL and other representatives from forest department and user Agency on 6th February, 2026.

The proposal has been submitted for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar transmission line. The Patratu-Latehar transmission line is planned to evacuate power from the Patratu thermal power plant of Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL). PVUNL is a joint venture company of M/s NTPC Limited (74% share) and Government of Jharkhand (26% share). PVUNL thermal power plant has planned capacity of 4000 MW (3 x 800 MW phase I and 2 x 800 MW phase II). Jharkhand state shall draw 85 % of the power generated from the PVUNL power plant. The proposed transmission line will improve the reliability and stability of the power system scenario in Jharkhand especially around Latehar, Ramgarh, Lohardaga and Ranchi area ensuring a reliable electricity supply to meet the growing demand. It will also significantly enhance the total transmission capacity (TTC) and available transmission capacity (ATC) of the network from PVUNL power generating station to the National Grid via the Latehar -Chandwa 400 kV D/c line. The details of land involved in the project are as mentioned below:-

Division	Notified Forest (Ha)	Deemed Forest (Ha)	Total Forest Area (Ha)
Latehar	52.704	3.161	55.865
Ramgarh	7.647	4.600	12.247
Ranchi	39.906	18.956	58.862
Total -	100.257	26.717	126.974

The total length of the transmission line is 110 Km, out of which 27.603 Km fall in forest land.

This 400 KV D/C Patratu - Latehar Transmission Line will evacuate the power of Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) and also be an important link to National Grid. This project is of national importance being enlisted as PMG project monitored by the Central Government. This project will improve the power transmission scenario in Jharkhand State. Photograph of the site visit of the project area is attached.

Sandeep Jaiswal
Principal Chief Conservator of Forests-cum-
Executive Director, Wasteland Development
Board, Jharkhand





कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002
e-mail- rcc@ranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907



पत्रांक 313 दिनांक 11/03/26

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

Proposal for seeking Ex-post facto approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed Area: 163.5868 ha.) forest land in favour of M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in Latehar, Ramgarh and Ranchi Districts of Jharkhand State (FP/JH/TRANS/32955/2018).

असंग :-

भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक 38 दिनांक 22.01.2026 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 176 दिनांक 24.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के स्तर से इस कार्यालय में प्राप्त है।

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन पत्र की छायाप्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही हैं।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राँची रीजन, राँची।



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, राँची-834002

ई-मेल:- cf-ranchi@gov.in फोन:- (0651)-2481814 मो:- 8987790111

14/02/26
2:11:25 PM

श्री नाइरवी
सेवा में,
रूपार
Jat
Jat

पत्रांक:- 176

दिनांक:- 24/02/2026

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राँची रीजन, राँची।

विषय:-

Proposal for seeking Ex-post facto approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area: 163.5868 ha.) forest land in favour of M/S Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in Latehar, Ramgarh and Ranchi districts of Jharkhand State (FP/JH/TRANS/32955/2018).



प्रसंग:-

क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक-12.01.2026, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-38 दिनांक-22.01.2026 एवं भवदीय ज्ञापांक 208 दिनांक 18.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने उनके पत्रांक-611 दिनांक-19.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समर्पित किया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	त्रुटि	निराकरण
1.	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1880.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि इसका अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाना है।
2.	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications	इसका अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल-झाड़ी अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल 1.0 पर अतिरिक्त कागजात/अभिलेख के

	<p>issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NOC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.</p>	<p>रूप में अपलोड की गई है।</p>
<p>3.</p>	<p>Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhinyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.</p>	<p>राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा इस प्रस्ताव के मामले में जो वन वाद दर्ज है वह संलग्न की जा रही है।</p> <p>स्थल पर वन भूमि में कार्य पर तत्काल रोक लगी हुई है। प्रयोक्ता अभिकरण पावर ग्रिड ने अपने पत्रांक-133 दिनांक- 01.09.2025 से उन कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण दिया था उनपर वन वाद दर्ज कर दिया गया है।</p> <p>वन (संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B सहपठित में [“Provided that nothing contained in this sub-section shall render the head of the department or any person referred to in clause (b), liable to any punishment if the proves that the offence was committed without his knowledge or that exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”]</p> <p>विदित हो कि श्री एस० के शशि, उप महाप्रबंधक, जे०सी०पी० पावर ग्रिड, राँची ने अपने पत्रांक-133 दिनांक-01.09.2025 उन्होंने कहा है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेन्सी के०ई०सी० द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावर ग्रिड द्वारा उक्त एजेन्सी को चेतावनी भी दी गई है। चेतावनियों की प्रतियाँ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि सरकारी पदाधिकारी ने due diligence का उपयोग किया था।</p> <p>अतः यह प्रावधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>(अनुलग्नक-1 एवं 2)</p>

4.	<p>The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha. and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.</p>	<p>इस संबंध में सूचित करना है कि वनों की सुरक्षा एवं सन्वर्धन कार्य Front line forest staff viz. forestguard एवं forester अपने बीट/सब-बीट में करते हैं, जो कि उनका दायित्व है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक द्वारा वर्ष-2014 से 2018 के मध्य यह टावर निर्माण प्रारंभ कराया गया था। 2017 के सितम्बर में नवनियुक्त वनरक्षी, वन प्रमण्डल में योगदान देना प्रारंभ किये थे।</p> <p>उनके पूर्व वनरक्षी की संख्या निम्नवत थी-</p> <table border="1" data-bbox="898 651 1425 891"> <thead> <tr> <th>पद</th> <th>स्वीकृत बल</th> <th>कार्यरत बल</th> <th>रिक्त</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वन क्षेत्र पदाधिकारी</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>वनपाल</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>वनरक्षी</td> <td>147</td> <td>10</td> <td>137</td> </tr> </tbody> </table> <p>ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि अनेकों प्रभार रहने के कारणवश एवं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के बीच नगण्य सीमांकन के फलस्वरूप सरजमीन पर ठोस रूप से इन कार्यों को प्रारंभ होने के पूर्व शत-प्रतिशत रोक पाना अत्यन्त विषमपूर्ण कार्य रहा है।</p> <p>जो वन वाद प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध दर्ज किया गया है वह आपको पूर्व में ही सूचित है तथा प्रस्ताव में अंकित किया जा चुका है।</p>	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1	वनपाल	23	18	5	वनरक्षी	147	10	137
पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त															
वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1															
वनपाल	23	18	5															
वनरक्षी	147	10	137															
5.	<p>The DFO, Latehar Forest Division in part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.</p>	<p>राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।</p>																
6.	<p>The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on</p>	<p>राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।</p>																

	PARIVESH.	
7.	(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha. instead of 126.974 ha. as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित KML file पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
	(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha. degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित नहीं है।
	(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कृषि योग्य भूमि नहीं है।

- अनु०— (1) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक-189 दिनांक-03.02.2026
(2) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक-133 दिनांक-01.09.2025
(3) राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा दायर किए गए वनवाद की प्रतियाँ।
(4) राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत स्वीकृत, धारित एवं रिक्ती से संबंधित प्रतिवेदन ज्ञापांक-423 दिनांक-02.02.2017

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, राँची।





कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (C), FAX 0651-2482386

पत्रांक:- 611 दिनांक:- 19-02-2026

19/02/26

श्रीरामा सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषय:- Proposal for seeking Ex-post facto approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area: 163.5868 ha.) forest land in favour of M/S Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line under Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Divisions in Latehar, Ramgarh and Ranchi districts of Jharkhand State (FP/JH/TRANS/32955/2018).

प्रसंग:- क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक-12.01.2026 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-38 दिनांक-22.01.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव के ऑनलाईन आवेदन में पाई गई त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण ने उनके पत्रांक-189 दिनांक-03.02.2026 के द्वारा समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	त्रुटि	निराकरण
1.	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1880.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि इसका अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाना है।
2.	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NOC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	इसका अनुपालन करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जंगल-झाड़ी अनापत्ति प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल 1.0 पर अतिरिक्त कागजात/अभिलेख के रूप में अपलोड की गई है।

3.	<p>Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhinyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.</p>	<p>राँची वन प्रमण्डल, राँची - द्वारा इस प्रस्ताव के मामले में जो वन वाद दर्ज है वह संलग्न की जा रही है।</p> <p>स्थल पर वन भूमि में कार्य पर तत्काल रोक लगी हुई है। प्रयोक्ता अभिकरण पावर ग्रिड ने अपने पत्रांक-133 दिनांक- 01.09.2025 से उन कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण दिया था उनपर वन वाद दर्ज कर दिया गया है।</p> <p>वन (संरक्षण एवं सम्बर्धन) अधिनियम 1980 की धारा 3A एवं 3B सहपठित में [“Provided that nothing contained in this sub-section shall render the head of the department or any person referred to in clause (b), liable to any punishment if the proves that the offence was committed without his knowledge or that exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”]</p> <p>विदित हो कि श्री एस0 के शशि, उप महाप्रबंधक, जे0सी0पी0 पावर ग्रिड, राँची ने अपने पत्रांक-133 दिनांक-01.09.2025 उन्होंने कहा है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेन्सी के0ई0सी0 द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावर ग्रिड द्वारा उक्त एजेन्सी को चेतावनी भी दी गई है। चेतावनियों की प्रतियाँ संलग्न हैं जिससे स्पष्ट है कि सरकारी पदाधिकारी ने due diligence का उपयोग किया था।</p> <p>अतः यह प्रावधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है। (अनुलग्नक-1 एवं 2)</p>
4.	<p>The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha. and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.</p>	<p>इस संबंध में सूचित करना है कि वनों की सुरक्षा एवं सम्बर्धन कार्य Front line forest staff viz. forestguard एवं forester अपने बीट/सब-बीट में करते हैं, जो कि उनका दायित्व है।</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक द्वारा वर्ष-2014 से 2018 के मध्य यह टावर</p>

निर्माण प्रारंभ कराया गया था। 2017 के सितम्बर में नवनि्युक्त वनरक्षी, वन प्रमण्डल में योगदान देना प्रारंभ किये थे।

उनके पूर्व वनरक्षी की संख्या निम्नवत थी-

पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
वन क्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1
वनपाल	23	18	5
वनरक्षी	147	10	137

ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि अनेको प्रभार रहने के कारणवश एवं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के बीच नगण्य सीमांकन के फलस्वरूप सरजमीन पर ठोस रूप से इन कार्यों को प्रारंभ होने के पूर्व शत-प्रतिशत रोक पाना अत्यन्त विषमपूर्ण कार्य रहा है।

जो वन वाद प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध दर्ज किया गया है वह आपको पूर्व में ही सूचित है तथा प्रस्ताव में अंकित किया जा चुका है।

5. The DFO, Latchar Forest Division in part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.

इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

6. The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.

इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

7. (i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha. instead of 126.974 ha. as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.

इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित KML file पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।

(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha. degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.

इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	इस प्रमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कृषि योग्य भूमि नहीं है।
--	---

- अनु०- (1) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक-189 दिनांक-03.02.2026
(2) पावर ग्रिड, राँची का पत्रांक-133 दिनांक-01.09.2025
(3) इस प्रमण्डल द्वारा दायर किए गए वनवाद की प्रतियाँ।
(4) इस प्रमण्डल अंतर्गत स्वीकृत, धारित एवं रिक्ती से संबंधित प्रतिवेदन ज्ञापांक-423 दिनांक-02.02.2017

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
18/2/26

20/02/26
3:4 PM
Mpin/ke
संक्रम सं: प.के.-1/रांची/जे.सी.पी./प. ला.पा.ला/189
MOS: IMMEDIATE
सेवा में,

दिनांक: 03.02.2026

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
वन प्रमंडल- रामगढ़, झारखण्ड।
वन प्रमंडल- राँची, झारखण्ड।
वन प्रमंडल- लातेहार, झारखण्ड।



विषय :- निर्माणाधीन 400 के.वी. पतरातू - लातेहार पारेषण लाइन से सम्बंधित वन प्रस्ताव पर "भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अंतर्गत वन संरक्षण प्रभाग के पत्रांक शून्य दिनांक 12/01/2026 द्वारा की गई पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि विषयाधीन पत्र द्वारा की पृच्छाओं का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नक - 1 द्वारा समर्पित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान अवलोकनार्थ एवं अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सधन्यवाद।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


3.2.26

(एस. के. शशि)
उप महाप्रबन्धक (जे.सी.पी.),
पावरग्रिड, रांची।

7	(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 ha as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	<p>The KML file for Ramgarh division is showing some missing patches. KML file of Ramgarh division has been uploaded again in Part I. The total area proposed for diversion is 126.974 ha.</p> <table border="1" data-bbox="821 336 1492 627"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Name of Division</th> <th>PF Area (ha)</th> <th>Area under JJ (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ramgarh</td> <td>7.647</td> <td>4.600</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ranchi</td> <td>39.906</td> <td>18.956</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Latehar</td> <td>52.704</td> <td>3.161</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL - 126.974 ha</td> <td>100.257</td> <td>26.717</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Name of Division	PF Area (ha)	Area under JJ (ha)	1	Ramgarh	7.647	4.600	2	Ranchi	39.906	18.956	3	Latehar	52.704	3.161	TOTAL - 126.974 ha		100.257	26.717
S.No.	Name of Division	PF Area (ha)	Area under JJ (ha)																			
1	Ramgarh	7.647	4.600																			
2	Ranchi	39.906	18.956																			
3	Latehar	52.704	3.161																			
TOTAL - 126.974 ha		100.257	26.717																			
	(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	May kindly be replied by Office of Ramgarh Forest Division.																				
	(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	May kindly be replied by concerned Forest Division.																				


3.2.26

एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCF)
पावरग्रिड/POWER GRID
रांची/Ranchi

संदर्भ सं.- पू.क्षे-1/राँची/जे.सी.पी./लातेहार- पतरातु/133

दिनांक 01.09.2025

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची (झारखण्ड) ।

विषय:- झारखण्ड परामर्शी परियोजना के अंतर्गत 400KV पतरातु – लातेहार पारेषण लाइन के निर्माण क्रम में वन अधिनियम 1980 एवं सम्बंधित नियमावली 2023 के उल्लंघन के सम्बंध में ।

प्रसंग: 1) दिनांक 22/08/2025 का स्थलीय जाँच ।
2) भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं. FP/JH/trans/32955/2018/1291 दिनांक 20/07/2023 ।

महाशय,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (पूर्व में JSEB) के साथ साझा समझौता ज्ञापन "जे.यु.एस. एन.एल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट" के अंतर्गत '400 के.वी पतरातु – लातेहार पारेषण लाइन' को एक परामर्शक के रूप में निर्माण करा रहा है । उक्त पारेषण लाइन का निर्माण कार्य वर्तमान में वन विभाग की चरण-1 की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण पूर्ण रूपेण स्थगित है । उक्त पारेषण लाइन "पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लि0, पतरातु" के 3x800 मेगावाट सन्चंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत उर्जा के सफल पारेषण हेतु अत्यावश्यक है ।

कहना है कि विषयाधीन पारेषण लाइन के वन प्रस्ताव सं. FP/JH/trans/32955/2018 के अनुमोदन के क्रम में राँची वन प्रमण्डल में आने वाले वन भूमि का दिनांक 22/08/2025 को हुए संयुक्त स्थलीय जाँच के दौरान श्रीमान के द्वारा वन अधिनियम 1980 एवं सम्बंधित नियमावली 2023 के उल्लंघन के विवरण की मांग कि गई थी।

अतः प्राप्त निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर निर्माण किये जाने वाले टावरों के विवरण के साथ – साथ उक्त वन अधिनियम एवं नियमावली से सम्बंधित उल्लंघन (निर्मित टावर) का भी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न 'अनुलग्नक-1' पर दिया जा रहा है ।

ज्ञात हो कि पत्र पत्रांक 1707, दि. 02.09.2024; पत्रांक 1909, दि. 01.10.2024 एवं पत्रांक 2156, दि. 12.11.2024 के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम – 1927 तथा अब वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन पाए जाने के उपरांत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पावरग्रिड एवं Contract Company के दोषी कर्मचारियों को चिह्नित कर उनका नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था जिसके प्रत्युत्तर पावरग्रिड द्वारा पत्र संदर्भ सं. ई. आर.-1 /जे.सी.पी./राँची/लातेहार-पतरातु/पतरातु/4254, दि. 28.11.2024 द्वारा दोषी कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराया दिया गया था, देखें संलग्न 'अनुलग्नक-2' ।

पुनः कहना है कि उपरोक्त उल्लंघन वर्षों पूर्व (मई 2016 के बाद) मुख्य कार्यकारी एजेंसी M/S KEC द्वारा भूलवश कर दिया गया था जिस हेतु पावरग्रिड द्वारा उक्त एजेंसी को चेतावनियाँ भी दी गयी थी, देखें संलग्न अनुलग्नक-3 (चेतावनी पत्रों की प्रतियाँ) ।

पूर्वी क्षेत्र-1ए जे. सी. पी. कार्यालय : 400/200 के० वी० उपकेंद्र, नामकुम, ग्राम- राजाजलातु, पोस्ट- नामकुम, राँची - 834010 दूरभाष 0651-2972320

ER-1, JCP Office : 400/200 KV Sub-station, Namkum, Gram-Rajaulatu, Namkum, Ranchi-834010, Tel : 0651-2972320

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2ए सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001ए हरियाणा, दूरभाष 0124-2571700719

Corporate Office : "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, Haryana, Tel. : 0124-2571700719

पंजीकृत कार्यालय: बी-9ए कृष्ण इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारीय सारai, नई दिल्ली - 110016 दूरभाष 011-26560112, 2656121, 26564812, सीआरएन : L40101DL1989GOI38121

Registered Office : B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai New Delhi - 110016, Tel. : 011-26560112, 2656121, 26564812, CIN: L40101DL1989GOI38121


Website : www.powergridindia.com

उक्त परिस्थिति में "पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०" "अनुलग्नक-2" पर उल्लेखित दोषी अधिकारियों के तरफ से compounding करना चाहता है जिसकी शक्तियाँ FC Act एवं भारत सरकार के पत्र पत्रांक: 11/113/2022-FC (Part-1), दिनांक 15/05/2023 (अनुलग्नक-4; संलग्न) द्वारा वन ग्रमण्डल पदाधिकारी को ही प्रदान की गई हैं ।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि यथा सरकारी आदेश प्रक्रिया एवं प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उक्त उल्लंघन हेतु राजस्व क्षतिपूर्ति का आदेश कर प्रशमन (Compounding) कराने की कृपा की जाय ।

सधन्यवाद ।

भवदीय,


1.9.25

(एस. के. शशि)

उप महाप्रबंधक (जे.सी.पी)


पावरग्रिड राँची ।

- सूचनार्थ : 1) प्रबंध निदेशक, जे.यू.एस.एन.एल ।
2) निदेशक (परियोजना), जे.यू.एस.एन.एल ।
3) कार्यकारी निदेशक, पावरग्रिड, पू.क्षे.-I ।
3) मु. महाप्रबंधक, पावरग्रिड, पू.क्षे.-I ।
4) उप महाप्रबंधक (I/C), पावरग्रिड, राँची ।

अनुलग्नक-1

1. वन भूमि में आने वाले टावर का विवरण:

क्र.सं	टावर संख्या	ग्राम का नाम	वन भूमि का प्रकार	उल्लंघन	टावर निर्देशांक	
					EASTING	NORTHING
1	16/0 (DB+0)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 27.413"	85° 12' 59.822"
2	17/0 (DD+3)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 22.642"	85° 12' 49.971"
3	18/0 (DC+0)	हेरिंग	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 25.280"	85° 12' 36.534"
4	18/1 (DB+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 22.651"	85° 11' 25.695"
5	19/0 (DC+9)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 20.272"	85° 11' 15.672"
6	20/0 (DB+9)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 38' 11.872"	85° 11' 05.926"
7	21/0 (DD+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 08.665"	85° 11' 57.131"
8	23/0 (DD+3)	उमेडंडा	GMJJ	है।	23° 38' 24.662"	85° 11' 40.891"
9	35A/2 (DA+0)	लोथमाना	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 49.726"	85° 04' 10.098"
10	35A/3 (DA+3)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 55.779"	85° 04' 57.559"
11	35A/4 (DA+0)	ओझासाड़म	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 01.039"	85° 04' 46.653"
12	37/0 (DD+0)	मुत्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 42.716"	85° 03' 41.991"
13	37/1 (DA+0)	मुत्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 46.083"	85° 02' 29.629"
14	38/1 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 43.602"	85° 02' 04.659"
15	38/2 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	है।	23° 36' 37.758"	85° 02' 52.366"
16	40/1 (DA+3)	रामदगा	GMJJ	है।	23° 35' 10.565"	84° 60' 46.371"
17	40/2 (DA+0)	रामदगा	GMJJ	नहीं है।	23° 35' 15.083"	84° 60' 33.747"
18	40/3 (DA+9)	रामदगा	GMJJ	नहीं है।	23° 35' 19.796"	84° 59' 20.632"
19	41/0 (DD+9)	रामदगा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 35' 24.200"	84° 59' 08.677"
20	41/1 (DA+3)	दुल्ली	GMJJ	नहीं है।	23° 36' 34.463"	84° 59' 00.581"
21	41/2 (DA+0)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 43.685"	84° 59' 53.306"
22	41/4 (DA+3)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 00.769"	84° 59' 39.827"
23	42/0 (DD+0)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 11.296"	84° 59' 31.522"
24	42/1 (DA+3)	दुल्ली	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 36' 15.189"	84° 58' 19.184"
25	42/2 (DA+0)	हरहु	GMJJ	नहीं है।	23° 36' 18.686"	84° 58' 08.195"
26	43/1 (DB+9)	हरहु	GMJJ	नहीं है।	23° 37' 38.499"	84° 57' 15.787"
27	43/2 (DA+6)	हरहु	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 46.987"	84° 57' 04.397"
28	44/0 (DC+0)	हरहु	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 54.176"	84° 57' 53.818"
29	44/1 (DB+6)	कोनका	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 05.840"	84° 57' 46.017"
30	44/2 (DB+9)	कोनका	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 15.569"	84° 57' 39.480"
31	44/3 (DB+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	नहीं है।	23° 37' 23.527"	84° 57' 34.135"
32	45/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 35.157"	84° 56' 26.333"
33	45/1 (DA+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 42.268"	84° 56' 14.441"
34	46/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	है।	23° 38' 48.029"	84° 56' 04.400"
35	46/1 (DA+0)	निद्रा	GMJJ	है।	23° 38' 49.456"	84° 56' 51.960"
36	46/2 (DA+3)	निद्रा	GMJJ	है।	23° 38' 50.591"	84° 56' 42.064"
37	47/0 (DD+0)	बेलगड़ा	GMJJ	है।	23° 38' 55.154"	84° 55' 01.704"


 एस. के. शशि / S.K. Shashi
 उपन्यासप्रबंधक / DGM (JCP)
 पावरग्रिड / POWER GRID
 रांची / Ranchi

डेटा वर्गीकरण : प्रतिबंधित/RESTRICTED

2. उल्लंघन क्षेत्रफल :


क्र. सं.	टावर संख्या	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	उल्लंघन का क्षेत्रफल	टावर निर्देशांक	
							EASTING	NORTHING
1	21/0 (DD+0)	उमेडंडा	अधिसूचित वन	14.733	14.733	217.06	23° 38' 08.665"	85° 11' 57.131"
2	23/0 (DD+3)	उमेडंडा	GMJJ	15.898	15.898	252.75	23° 38' 24.662"	85° 11' 40.891"
3	35A/2 (DA+0)	लोथमाना	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 49.726"	85° 04' 10.098"
4	35A/3 (DA+3)	ओझासाडम	अधिसूचित वन	11.073	11.073	122.61	23° 36' 55.779"	85° 04' 57.559"
5	35A/4 (DA+0)	ओझासाडम	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 01.039"	85° 04' 46.653"
6	37/0 (DD+0)	मुत्रा	अधिसूचित वन	14.733	14.733	217.06	23° 36' 42.716"	85° 03' 41.991"
7	37/1 (DA+0)	मुत्रा	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 36' 46.083"	85° 02' 29.629"
8	38/1 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	11.793	11.793	139.07	23° 36' 43.602"	85° 02' 04.659"
9	38/2 (DA+6)	चामा	अधिसूचित वन	11.793	11.793	139.07	23° 36' 37.758"	85° 02' 52.366"
10	40/1 (DA+3)	रामदगा	GMJJ	11.073	11.073	122.61	23° 35' 10.565"	84° 60' 46.371"
11	45/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	15.644	15.644	244.73	23° 38' 35.157"	84° 56' 26.333"
12	45/1 (DA+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	10.365	10.365	107.43	23° 38' 42.268"	84° 56' 14.441"
13	46/0 (DC+0)	निद्रा	अधिसूचित वन	15.644	15.644	244.73	23° 38' 48.029"	84° 56' 04.400"
14	46/1 (DA+0)	निद्रा	GMJJ	10.365	10.365	107.43	23° 38' 49.456"	84° 56' 51.960"
15	46/2 (DA+3)	निद्रा	GMJJ	11.073	11.073	122.61	23° 38' 50.591"	84° 56' 42.064"
16	47/0 (DD+0)	बेलगड़ा	GMJJ	14.733	14.733	217.06	23° 38' 55.154"	84° 55' 01.704"
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)						2576.51 वर्गमीटर		

नोट: उपरोक्त सभी प्रकार के टावरों का फाउनडेशन ड्राईंग संलग्न (अनुलग्नक-5)

क. वनभूमि/ GMJJ पर निर्मित टावरों की संख्या = 16,

ख. उपरोक्त 16 (सोलह) टावरों का प्राक्कलित कुल क्षेत्रफल = 2576.51 वर्गमीटर,

ग. अतः वनक्षेत्र में उल्लंघन का कुल क्षेत्रफल = 2576.51 वर्गमीटर, अथवा, 0.2576 हे०।


1.9.25
एस. के. शशि / S.K. Shashi
उपनगरप्रबंधक / DGM (JCP)
पावरग्रिड / POWER GRID
रांची / Ranchi

अनुलग्नक-2

क्र. संख्या	नाम	पदनाम	पता	टिप्पणियां
1	श्री एस. मुरलीधरन	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड	Present Place of Posting: New Navsari, WR-II (POWERGRID 765/400/220 kV New Navsari GIS Substation, Vill- Ubhrat, Taluka- Jalalpur, Dist- Navsari, Gujrat, Pin Code- 396436 Permanent Address: Tharasadanam- Near BSNL Office- Pazha, Nedumangadu Taluk, Nedumangadu, Trivandrum, Kerala- 695561 Mail ID: smurliidharan@powergrid.in Phone No: 9431815681/ 7488887308	Transferred out
2	श्री पी. सुब्बाराव	उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड	Flat No: 401, Shanthi Nilayam, Ramnagar 7th line, Ongole, Andhra Pradesh- 523001, Mail ID: hotlinesubbarao@gmail.com Phone No: 9440908965/ 8331998327	Retired from POWERGRID
3	श्री सुमन सिंह	परियोजना प्रबंधक KEC	परियोजना कार्यालय : KEC International limited 489/C, Mandir Marg, Ashok Nagar, Ranchi-834002 (JH) क्षेत्रीय कार्यालय : KEC International Limited 6/2, Moira Street Kolkata-700017 (WB)	Transferred out

घ.

1.9.15
एच. के. शशि/S.K Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
रांची/Ranchi

ई. आर. १/जे. सी.पी./राँची/बिहार- पतरातु/ 4254

दिनांक 28.11.2024

सेवा में

श्रीमान् वन प्रमण्डल पदाधिकारी।
रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ (झारखण्ड)

विषय- झारखण्ड पशुमर्श परियोजना के अंतर्गत 400KV पतरातु - लातेहार परियोजना लाइन के निर्माण क्रम में वन अधिनियम 1980 एवं सम्बंधित नियमावली 2023 के उल्लंघन मामले में प्रशमन Compounding के सम्बंध में।

प्रसंग: 1) आपका पत्रांक 2156 दिनांक 12/11/2024।
2) भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं. FP/JH/trans/32955/2018/23 & 1291 दिनांक 08/01/2024 & 20/07/2023 क्रमशः।

महाराज्य,

कहना है कि विषयाधीन परियोजना लाइन के वन प्रस्ताव सं. FP/JH/trans/32955/2018 के अनुमोदन के क्रम में क्षेत्र कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, राँची के पत्र सं. FP/JH/trans/32955/2018/1291, दिनांक 20/07/2023 के पृच्छाओं के अनुपालनार्थ रामगढ़ जिले के पतरातु अंचल के ग्रामों के प्लॉटों के प्रकार (रिपती, गैर मजहूआ, जंगल झाड़ी इत्यादि) का विवेकपूर्ण निर्णय होना शेष है। जिसके प्राप्त होते हैं पृच्छाओं का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन आपके कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

आपके पत्रांक 2156 दिनांक 12/11/2024 के निर्देशानुसार वन भूमि पर गैर बानिकी कार्य करने में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० प्रबंधन एवं मुख्य कार्यकारी एजेंसी M/S-KEC International Ltd के तत्कालिन कर्मियों का विवरण दिया जा रहा है।

क्र. संख्या	नाम	पदनाम	पता	टिप्पणियां
1	श्री मुरलीधरन	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड	Present Place of Posting: New Navsari, WR-II (POWERGRID 765/400/220 kV New Navsari GIS Substation, Vill- Ubhrot, Taluka- Jalalpur, Dist- Navsari, Gujrat, Pin Code-396436 Permanent Address- Tharasadanam- Near BSNL Office-Pazha, Nedumangadu Taluk, Nedumangadu, Trivandrum, Kerala- 695561 Mail ID: smurliidharan@powergrid.in Phone No: 9431815681/ 7488887308	Transferred out
2	श्री पी. सुब्बाराव	उपमहाप्रबंधक, पावर ग्रिड	Flat No: 401, Shanthi Nilayam, Ramnagar 7th line, Ongole, Andhra Pradesh- 523001,	Retired from POWERGRID

			MailID: hotlinesubbarao@gmail.com Phone No: 9440908965/ 8331998327	
3	श्री सुमन सिंह	परियोजना प्रबंधक KEC	परियोजना कार्यालय : KEC International limited 489/C, Mandir Marg, Ashok Nagar, Ranchi-834002 (JH) क्षेत्रिय कार्यालय : KEC International Limited 6/2, Moira Street Kolkata-700017 (WB)	Transferred out

उपरोक्त उल्लंघन वर्षोपूर्व भूलवश कर दिया गया था जिसके प्रत्युत पावरग्रिड ने एजेंसी M/S KEC को चेतावनियाँ (प्रतियोगी सौलगा) भी दिया था। ऐसी स्थिति में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० उनकी तरफ से compounding कराना चाहता है जिसकी शक्तियाँ FC Act एवं भारत सरकार के पत्र क्रमांक: 11/113/2022-FC (part-II), दिनांक 15/05/2023 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी को ही प्रदान की गई हैं।

अतः श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि यथा सरकारी आदेश प्रक्रिया एवं प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप उक्त उल्लंघन हेतु राजस्व एवं क्षतिपूर्ति का आदेश कर प्रशमन (Compounding) कराने की कृपा की जाय।

(Handwritten Signature)
28/11/24

(कुलदीप कुमार)

अभिपंता (जे.सी.पी.), राँची


- सूचनाार्थ :
- 1) प्रबंध निदेशक, JUSNL
 - 2) निदेशक (परियोजना), JUSNL
 - 3) मु. महाप्रबंधक I/C- पू.क्षेत्र -1, POWERGRID
 - 4) मु. महाप्रबंधक AM, पू.क्षेत्र -1, POWERGRID
 - 5) व. महाप्रबंधक (जे.सी.पी.), राँची, POWERGRID

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

ए 0/360 रोड नं 4 ए अशोकनगर-रांचि 834002

दूरभाष: 0651 2242545 ईमेल: jcp Ranchi@yahoo.in
A/360, ROAD NO. 4B, ASHOK NAGAR RANCHI - 834002
Tel: 0651-2242545 Email: jcp Ranchi@yahoo.in



Dt: 27.02.2017

Ref: ER-1/RNC/JCP/TW-01/FOREST/2017/2200

To:
The Sr. Project Manager,
M/s KEC International Limited,
Project Site Office,
Ranchi-834 004

Sir

Sub: JCP works – Commencement of Foundation works in FOREST area
without Stage-1 Approval – Reg
Ref: CC-CS/292-ERS-1/TW1680/3/G4/NOA-II/4453, DT.28/9/2012.

This is in continuation to our earlier letter Dt.12/05/2016 and also for information, it is understood from the Forest department Officials during interactions that the commencement of Construction works in FOREST area without Stage-1 approval is a Crime and the concerned officials will be prosecuted by issuing non-bailable arrest warrants.

It is pertinent here to mention on the subject that M/s KEC officials are expressed Intension/planning for mobilization of commencement of Foundation works in FOREST areas and the same was refused in different levels of discussions.

Hence it is advised for not to resort any such type of planning in FOREST areas without Stage approval otherwise M/s KEC is the sole responsibility for actions taken by the FOREST Department


This is for your kind information please.

Thanking you


Yours Faithful
For Power Grid Corporation of India Ltd


(P. Subb)
Dy. General Manager, JCP, F

Copy: 1.AGM/JCP, Ranchi – for kind information please.
2.Asst.GM/TLC, TW-01 package, Ranchi – for information please.



पावरग्रिडकारपोरेशनऑफ इंडियालिमिटेड
(भारतसरकारका उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)



ए 0/360रोड न0 4 ए अशोकनगर-रंची834002
दुपारं 0651 2242545 ई0 मेल0: jcp Ranchi@yahoo.in
A/360, ROAD NO. 4B, ASHOK NAGAR RANCHI -834002
Tel : 0651-2242545 Email: jcp Ranchi@yahoo.in

Dt.:12.05.2016

Ref: ER-1/RNC/JCP/TW-01/2016/1505

To:
The Sr. Project Manager,
M/s KEC International Limited,
Project Site Office,
Ranchi-834 004

Sir


Sub: JSEB consultancy works - 400KV D/C ESSAR-Latehar Line - Reg
Ref: CC-CS/292-ER-1/TW1680/3/G4/NOA-II/4453, DT.28/9/2012.

It is understood from the monthly progress reports that 400KV D/C ESSAR-Latehar Line pertains 10Nos. of locations fouling in RF and out of that 9Nos. foundations are completed. In this regard It is being communicated that any obligation with RF officials due to completion of foundation works prior to RF approvals is the sole responsibility of M/s KEC only.


This is for your kind information please.

Thanking you

Yours Faithfully,
For Power Grid Corporation of India Limited


(P.Subbarao)
Dy. General Manager, JCP, Ranchi

Copy: GM/JCP, Ranchi - for kind information please.


14/5/16



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386



जहाँ है हरियारी
वहाँ है खुशियारी

पत्रांक:- 2969 दिनांक:- 14-10-2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, ओझासाड़म पी0एफ0 एवं लोथमाना पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33467/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-635 दिनांक-07.10.2025

नहाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, ओझासाड़म पी0एफ0 एवं लोथमाना पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33467/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल राँची।
14/10/2025

ok

C-33467/25

F.No. 42774/25
CNRSH RN 03042841202

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।
पत्रांक २४ दिनांक : २४/०९/२०२४

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर
विद्युत टावर निर्माण हेतु फाउंडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री मनोज कुमार वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की ओझासाड़म, मुन्ना एवं लोथमाना पी० एफ० में पाँच जगहों पर विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री मनोज कुमार द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4691 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जुर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जुर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4691 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

उपरोक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा
वन क्षेत्र आगू को सूचना एवं अवैध
कारवाही हेतु स्पष्टि।
Asteyre Ansee

आपका विश्वासी
Asteyre Ansee

24/09/2024

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज

प्रभारी, वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज

09/10/2013

संज्ञिका:-

CS
SR
09/10

08/10/2013

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक / ज्ञापक 635 दिनांक 09/10/2013

वन प्रमण्डल सहायक, खैरपुर वन क्षेत्र, खैरपुर
को विपरीत संविदेत की दृष्टिकोण से कार्य
प्रकार-खैर. विपरीत कार्य- हेतु संविदेत



वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

सैवा में,

वन परिसर पदाधिकारी
खुलारी वन परिसर, मैन्-बुल्डीजंग

महोदय,

सूचना प्राप्त हुई कि श्रीआसाइम, मुन्ना, लोचमाना पी०एल०ने कुछ लोगों द्वारा वृक्षों में पेंस से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जा कर पुष्टता करने पर पता चला की पूर्व में पावर ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया था। लाइन के बीच में आने वाले वृक्षों का नश्वरीय किया जा रहा है। इसी दौरान देखो कि श्रीआसाइम पी०एल०ने दो जगह मुन्ना पी०एल०ने दो जगह लोचमाना पी०एल०ने एक जगह विद्युत शक्ति का निर्माण हेतु वन भूमि में जाउसेसन का कार्य किया गया है। प्रयोग आभिकरण के कर्मियों/पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु समस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रॉज की अभी के अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके।

पार वृक्षों में अशुभ प्रतिक्रिया

के द्वारा वनभूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम किया गया है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार संसोधन 1989) की धारा 33 का उल्लंघन है।

अतः शीघ्र से अनुरोध है कि आगे की उचित कार्रवाई करवाने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी

मनीष कुमार
खुलारी वन परिसर

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ए), वन विभाग, बिहार आरक्षण
रांची पश्चिमी वन प्रमण्डल, बोहरदया रीची 4691

(नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।)

जुर्म नम्बर... 4691.....

दिनांक... 18/08/2025

1. घटना स्थल - श्री आम्बाईग पी. एम. मुन्ना पी. एम. लक्ष्मी (सोयाना) पी. एम.
2. घटना का स्थान और तारीख - श्री आम्बाईग पी. एम. (दिनांक 18/08/2025)
3. अपराधी का नाम और पता - श्री सुमन सिंह परिमोजन प्रबंधक डे. डी. सी. इन्टरनेशनल लिमिटेड

4. जप्ती माल, अगर कोई - X

5. जप्ती माल का जिमेदार - y

6. गवाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर -
 ① सुरजीत कुमार व. र. खलसी वन पार्सल
 ② सुनील कुमार व. र. खलसी वन पार्सल
 सुनील कुमार

7. स्वतंत्र गवाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर -

8. तफसील और ध्यान प्रतिवेदन - y

कृपया बरटे पृष्ठ पर देखें



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2489265 (O), FAX 0651-2482386



जहाँ है अधिकारी,
जहाँ है खतरा।

पत्रांक:- 2268 दिनांक:- 14-10-2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढमू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, निद्रा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33463/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-634 दिनांक-07.10.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, निद्रा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33463/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
14/10/25

nc

F :- 42766/25

CNR :- JHR No 304283320

C :- 33463/25

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।

पत्रांक : 65

दिनांक : 19.08.2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- निद्रा सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण हेतु फाँउडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री सुनील एक्का वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा निद्रा पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पृच्छताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की निद्रा पी एफ में तीन जगह विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाँउडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री सुनील एक्का द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4690 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जुर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जुर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जुर्म प्रतिवेदन संख्या 4690 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

प्रतिवेदन :- वन क्षेत्र पदाधिकारी वृद्ध
वन क्षेत्र माफुल को सूचना दे
श्रीप्रभु कावर्ष ईद समिति।

Asst. Commr.

आपका विश्वासी
Asst. Commr.

19/08/2025
प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज

प्रभारी, वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज

09/10/2025

CS प्रतिकार :-

09/10

09/10/2025

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक/झापांक 634 दिनांक 09/10/2025

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल राँची
को आवाजक मॉडेल की ड्रॉइंग के साथ
प्रतिकार एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

सेवा में

वन परिषद पदाधिकारी

खलारी वन परिषद में कार्यरत श्री गज

सहायक

सूचना प्राप्त हुई कि निम्न पी. एफ. में कुल
 लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंस के अंक लिखने का काम
 किया जा रहा है। इनके पर जा. एच. प्रहरी
 करने पर परा चला कि पूर्व में पावर ग्रीड द्वारा
 इंजिनियर लाईन का निर्माण किया गया था।
 लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का संवर्धन
 किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि निम्न
 पी. एफ. में तीन जगह विद्युत लाइन का निर्माण
 हेतु वन भूमि में कांस्ट्रिक्शन का कार्य किया गया
 है। उपरोक्त अभिकरण के कार्यों/पदाधिकारियों
 से वन भूमि में कार्य करने हेतु सहम पदाधिकारी
 द्वारा निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त पर भी मांग की
 गयी परंतु वे अनुमति प्राप्त पर उपलब्ध नहीं
 करा सके।

पार ६७७ में अंकित अभिलेख के द्वारा वन भूमि
 में बिना अनुमति प्राप्त पर भी काग करवा गया
 है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (वि. ए.
 संशोधन 1989) की धारा 33 का उल्लंघन है।
 अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जगो की कानूनी
 कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी
 सुनील शर्मा (वर.)
 खलारी वन परिषद

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ए), वन विभाग, बिहार
राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा 21वीं 4630

(नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।)

जुर्म नम्बर 4690

दिनांक 18/8/20

- घटना स्थल - निंहा पी. 2040.
- पकड़ने का स्थान और तारीख - निंहा पी. 2040 दिनांक - 18/8/202
- अपराधी का नाम और पता - ① श्री सुमन सिंह, परिभाजना प्रबंधक
श्री. डी. इंटरनेशनल लिमिटेड

4. जप्तो माल, अगर कोई - X

5. जप्तो माल का जिमेवार - X

6. पवाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर -

① सुरजीत राय व.र. खलारी वन परियार Surjit

② मनोज कुमार व.र. खलारी वन परियार Manoj Kumar

7. स्वतंत्र पवाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - X

8. तकसीस और स्थान प्रतिवेदन - X

कुप्या बरटे पृष्ठ



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386



जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशामती।

पत्रांक:- 2971 दिनांक:- 14.10.2025

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, उमेण्डा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33449/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-633 दिनांक-07.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, उमेण्डा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33449/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर संलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।
14/10/25

ok

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, बुढ़मू वन परिसर, बुड़मू।

पत्रांक :- 26 दिनांक :- 19.08.2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
राँची।

C-33449/2025

विषय :- उमेडण्डा पी. एफ. में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि उमेडण्डा पी. एफ. में कुछ लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जाकर पृष्ठताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि उमेडण्डा पी. एफ. में एक विद्युत टावर का निर्माण भी वन भूमि में किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मियों/पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई, परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके। फलस्वरूप संबंधित वनरक्षी श्री विनय कुमार सिंह मुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के जूर्म में सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक KEC International Limited के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया।

इस प्रकार जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33 के तहत दण्डनीय वन अपराध किया गया है। जाँच कार्य जारी है, पूर्ण जाँचोपरांत अभियोजन प्रतिवेदन द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित की जाएगी।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध वनवाद दायर करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :-

1. जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689
दिनांक 18.08.2025 मूल
प्रति।

आपका विश्वासी

Lalit Mohan
19.08.2025

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
बुढ़मू वन परिसर, बुड़मू।

प्रतिनिधि वन क्षेत्र पदाधिकारी बुड़मू वन परिसर, ताण्ड को प्रभावित एवं आनन्दप्रक कार्यावाही हेतु सतर्क।

Lalit Mohan

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुड़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक/जापांक 633 दिनांक 07/10/2025

वन परिसर पदाधिकारी

बुड़मू वन परिसर, बुड़मू

प्रतिनिधि

वन क्षेत्र पदाधिकारी, राँची वन परिसर, राँची को
विशेष प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव रख
आवश्यक कार्यालय हेतु निर्दिष्ट



Sunil Kumar
07/10/2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ए), वन विभाग, बिहार ^{भारत सं 4689}
रांची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा रेंजी

(नोट 1- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।)

जुर्म नम्बर... 4689.....

दिनांक... 18/8/2023.....

1. घटना स्थल - डमोडडा पी. एफ
2. पकड़ने का स्थान और तारीख - डमोडडा पी. एफ
3. अपराधी का नाम और पता - ① श्री सुजत सिंह, परिफोल्गा प्रलेखक
के. ड. पी इंटरनेशनल लिमिटेड

4. जप्त माल, अगर कोई - X

5. जप्त माल का जिमेदार - X

6. बवाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - ① विनोद मिश्र, वनरक्षी बुद्ध वन परिमल
② मोनेश पादल, वनरक्षी बुद्ध वन परिमल
Vinod Mishra
Mojesh Padal

7. स्वतंत्र बवाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - X

8. तफसील और बयान प्रतिवेदन -

कृपया बल्ले पृष्ठ पर देखें

वन परिषद पदाधिकारी
बुद्ध वन परिषद, बुद्ध

सूचना प्राप्त हुई कि उमोडगा पी. एफ. के कुछ लोगों के
आय वृद्धि के फेंद से कुछ लिखने का काम दिनांक २०११ है।
अस्थान पर एडवर प्रदाता करने पर पता चला कि २०११ के
पोलर रिज द्वारा संशोधित कराने का निर्माण दिनांक २०११
कार्य के बीच के मांग वाले एडवर का सम्बन्धित दिनांक २०११
है। इनमें दोयम करव दि उमोडगा पी. एफ. के एक विधुत
कार्य का निर्माण भी सम्बन्धित के दिनांक २०११ है। प्रपोजेस्ट
अभिव्यक्त के अधिकारी/पदाधिकारी से वनशक्ति में कार्य करने
हेतु सन्तत पदाधिकारी द्वारा निर्गत आगपति प्रमाण पत्र की
मांग की गई परन्तु वे आगपति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं
कर सके। पारदृष्टो से निर्गत गतिपुत्र के द्वारा वनशक्ति
के बिना आगपति प्रमाण पत्र के आवाग करवा गया है जो
भारतीय वन अधिनियम १९२७ (बिहार संशोधन १९९९) की धारा-३३
का उल्लंघन है।

अतः सीमांत के मातुरोप है कि आगे की कार्रवाई
कारवाही करने की उपाय की जाए।

आपका विश्वासी
V.K. Singh Munde
(विजय कुमार सिंह भुसा)
वनदाता बुद्ध वन परिषद

वन विभाग, झारखण्ड।

राँची वन प्रमंडल, राँची।

अपराध रिपोर्ट सं. 226 ता. 10.11.2025

बुड़मू वन क्षेत्र, माण्डर (राजस्व केन्द्र/रेज।)

अपराध का स्वरूप

उमेडण्डा पी. एफ. में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण करने के संबंध में।

पता चलने की तारीख और समय - दिनांक 18.08.2025

घटना स्थल - उमेडण्डा पी. एफ.।

किसने पता लगाया - सूचना के आधार पर।

वन अधिनियम और दंड संहिता की धारा का निर्देश।
(यह प्रमंडलीय वन कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।)

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
		गाँव	थाना	जिला
(1) सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक	के. ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड	मंदिर मार्ग	अशोक नगर	राँची
(2) पी. सुब्बासाव, उप महाप्रबंधक	पावर ग्रिड, राँची			
(3) एस. मुरलीधरन, महाप्रबंधक	पावर ग्रिड, राँची			

साक्षियों के नाम

(1) श्री विनोद मिज	वनरक्षी, बुड़मू वन परिसर, बुड़मू	बुड़मू	राँची
(2) श्री मोजेश दादेल	वनरक्षी, बुड़मू वन परिसर, बुड़मू	बुड़मू	राँची

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है।

Neelam
17.11.2025
CS
R
S

मण्डल पदाधिकारी
4588
19.11.2025
वन प्रमंडल, राँची

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट।
(यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर ली जाए।)

सेवा में,

प्राधिकृत पदाधिकारी

—सह—

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

विषय— वनवाद संख्या C-33449/2025 का अन्तिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि उमेडण्डा पी. एफ. में कुछ लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि उमेडण्डा पी. एफ. में एक विद्युत टावर का निर्माण भी वन भूमि में किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मियों/पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई, परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके। फलस्वरूप संबंधित वनरक्षी श्री विनय कुमार सिंह मुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के जूर्म में सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक KEC International Limited के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया एवं माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची के न्यायालय में वनवाद संख्या सी०- 33449/2025 दर्ज कराते हुए इसकी सूचना प्रमण्डलीय कार्यालय, राँची को दिया गया।

इस वनवाद का जाँच कार्य प्रारम्भ किया गया। जाँच के क्रम में वनरक्षी श्री विनय कुमार सिंह मुण्डा के साथ विभागीय नक्शा लेकर उमेडण्डा पी. एफ. जाकर वन भूमि का अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण किये गये स्थल का निरीक्षण किया। संबंधित अवैध अतिक्रमण मौजा—उमेडण्डा, थाना—बुडमू, थाना नं.—48 के प्लॉट संख्या 98 में लम्बाई 14.733 मीटर एवं चौड़ाई 14.733 मीटर में किया गया है, जो विभागीय अधिसूचना संख्या C/F 17037/56-1926-R दिनांक 11.09.1956 द्वारा अधिसूचित वन भूमि है।

पावर ग्रिड के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से पूछताछ करने पर बताया कि यह काम पूर्व में काम कर रहे मुख्य कार्यकारी एजेंसी, M/S KEC International Limited के द्वारा भूलवश टावर का निर्माण कर दिया गया था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने पत्रांक पू०के-1/राँची/जे.सी.पी./लातेहार-पतरातु/133 दिनांक 01.09.2025 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के नाम से दिये पत्र में उन्होंने स्वीकार किया है कि पतरातु—लातेहार पारधेण लाइन के निर्माण के क्रम में उमेडण्डा पी. एफ. में बिना कार्य अनुमति के एक टावर का निर्माण कर गैर वानिकी कार्य किया गया है।

अभियुक्त का ब्यान

जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। इस संबंध में उस समय पावर ग्रिड में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक, एस. मुरलीधरन, उप महाप्रबंधक पी. सुब्बराव एवं M/S KEC के परियोजना प्रबंधक सुमन सिंह का नाम भी उपलब्ध कराये हैं एवं दोषी पदाधिकारियों के तरफ से वनवाद प्रशमन करने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार अभियुक्तों के द्वारा बिना कार्य अनुमति के एक विद्युत टावर का निर्माण कर अधिसूचित वनभूमि में गैर यानिकी कार्य किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन अपराध प्रमाणित होता है।

अतः निवेदन है कि इस वनवाद की अंतिम सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में भेजने की कृपा की जाय।

राजस्व एवं क्षतिपूर्ति

अवैध अतिक्रमित क्षेत्र - 14.733 मी. X 14.733 मी. = 217.06 वर्ग मी. @ 122.86 = 26668.00 रु.
 क्षतिपूर्ति चार गुणा 26668.00 X 4 = 106672.00 रु.
 कुल योग 133340.00 रु.
 (एक लाख तैंतीस हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र)

अनुसूची -

1. अपसाराण प्रतिवेदन पत्रांक 25 दिनांक 19.08.2025 की छायाप्रति।
2. पूर्व प्रतिवेदन संख्या 4889 दिनांक 18.08.2025 की छायाप्रति।
3. क्षतिप्रति स्थल का नक्शा।

आपका विश्वासी

Signature
01.11.2025

प्रमारी वन परिसर पदाधिकारी,
बुडमू वन परिसर, बुडमू

कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुडमू वनक्षेत्र माण्डर
पत्रांक / जापांक 694 दिनांक 10.11.2025

सेवा में

*वन प्रमारी वनक्षेत्र पदाधिकारी,
बुडमू वनक्षेत्र, बुडमू*

*प्रमारी वनक्षेत्र बुडमू के-द्वारा प्रमारी वनक्षेत्र वनवाद प्रमाणित
C-33449/2025 का अंतिम अधिरोपण प्रतिवेदन दिनांक
10.11.2025 के-अंशोपार माण्डर बुडमू/उमके डाल वि.के.
गमा अंशोपार के-द्वारा*

*इस अधिरोपण प्रतिवेदन की गणना/कम्पाउंडिंग
के-सेवा का प्रस्ताव है*

(अनुसूची-अंशोपार)

Signature

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुडमू वन क्षेत्र, माण्डर

वन - विभाग, झारखण्ड।

राँची वन प्रमंडल।

अपराध रिपोर्ट सं० 226P

ता० 10.11.2025

बुढ़मू वन क्षेत्र, राजस्व केन्द्र / रेंज।

झाप सं० 694

ता० 10-11-2025

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

प्रभारी पदाधिकारी।

वन क्षेत्र पदाधिकारी राजस्व केन्द्र / रेंज।

बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

झाप सं०

ता०

मजिस्ट्रेट को

आदेशिका तामील करने के लिए एक आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेज भेजी जाती है।

i) _____

ii) _____

iii) _____

iv) _____

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, बुढ़मू वन परिसर, बुढ़मू।

पत्रांक :- 26

दिनांक :- 19.08.2025

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
राँची।

C-33449/25

विषय :- उमेडण्डा पी. एफ. में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि उमेडण्डा पी. एफ. में कुछ लोगों के द्वारा वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि उमेडण्डा पी. एफ. में एक विद्युत टावर का निर्माण भी वन भूमि में किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कर्मियों/पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई, परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके। फलस्वरूप संबंधित वनरक्षी श्री विनय कुमार सिंह मुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के जूर्म में सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक KEC International Limited के विरुद्ध जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया।

इस प्रकार जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33 के तहत दण्डनीय वन अपराध किया गया है। जाँच कार्य जारी है, पूर्ण जाँचोपरांत अभियोजन प्रतिवेदन द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित की जाएगी।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि जूर्म प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध वनवाद दायर करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :-

1. जूर्म प्रतिवेदन संख्या 4689
दिनांक 18.08.2025 मूल
प्रति।

आपका विश्वासी
19.08.2025
प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
बुढ़मू वन परिसर, बुढ़मू।

पुनिलिपि - वन क्षेत्र पदाधिकारी, बुढ़मू वन परिसर, मायाट हा
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित।

वन परिसर पदाधिकारी
बुढ़मू वन परिसर, बुढ़मू।

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ए), वन विभाग, बिहार भरतपुर 4689
 राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा रॉय

(नोट :- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर दाखिल करना चाहिए ।)

जूम नम्बर...4689.....

दिनांक...18/5/2025.....

1. घटना स्थल - डमोडा पी. एफ
2. पकड़ने का स्थान और तारीख - डमोडा पी. एफ
3. अपराधी का नाम और पता - ① श्री सुभाष चंद्र परिपालना पुलपड
 के. डी. सी. इंटरनेशनल लिमिटेड

4. जप्तो माल, अगर कोई - X

5. जप्तो माल का जिमेवार - X

6. बचाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - श्री विजय मिश्र, लोहरदी पुलपड वन परिषद

(श्री मोलेश पादल, लोहरदी पुलपड वन परिषद)
 अंगुलिहस्ताक्षर

7. स्वतंत्र बचाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर - X

8. तफसील और व्याप प्रतिवेदन -

कृपया बरटे पृष्ठ पर देखें

Inscribed

नामसंज्ञा अंशदण्डा मिरासा

माला नामा कुडुम

पानना मयार ६६

जिल्ला सान्धि


संकेत पत्र मासिक मिरासा १६ पाना
माला १६६६ - २१-१६६६

संकेत नं-१६

संकेत नं-१६

Transmission Line Lower
Forest Plot No. - 96

संकेत नं-१६
संकेत नं-१६
संकेत नं-१६





कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386



आँसू है दरिद्रता
हँस है सूरजगती।

पत्रांक:-.....2970.....दिनांक:-.....14-10-2025.....

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर।

विषय:-

वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, चामा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33464/2025 से संबंधित अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका ज्ञापांक-636 दिनांक-07.10.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसांगिक पत्र द्वारा वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, द्वारा दिनांक-18.08.2025, चामा पी0एफ0 अतिक्रमण के जूम में दायर शिकायत वाद सं0- सी0 33464/2025 से संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर से घटना का विस्तृत जांच कराकर सलिप्त अभियुक्तों का नाम एवं पूरा पता, राजस्व एवं क्षतिपूर्ति की विवरणी के साथ ही उक्त कृत्य में भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा/उप धारा जिनका उल्लंघन घटना में घटित हुआ है का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अंतिम अभियोजन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

14/10/2025

2970

ok

F:- 42768/25

CNR:- JHANO 30112835207

C:- 32464/25

कार्यालय :- वन परिसर पदाधिकारी, खलारी वन परिसर, मैक्लुस्कीगंज।

पत्रांक - 6

दिनांक : 28/09/2024

सेवा में,

माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
सिविल कोर्ट, राँची।

विषय :- चामा सरकारी जंगल में अवैध अतिक्रमण कर विद्युत टावर निर्माण हेतु फाउंडेशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री सुरजीत रुण्डा वनरक्षी के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 18.08.2025 को सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा चामा पी० एफ० में वृक्षों में पेंट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। उक्त स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पावर ग्रिड के द्वारा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण किया गया था। लाईन के बीच में आने वाले वृक्षों का नम्बरिंग किया जा रहा है इसी दौरान देखा की चामा पी० एफ० में दो जगहों पर विद्युत टावर निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के कमियों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु अनापति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा सके। फलस्वरूप वनरक्षी श्री सुरजीत रुण्डा द्वारा अवैध अतिक्रमण करने के विरुद्ध जुर्र प्रतिवेदन संख्या 4692 दिनांक 18.08.2025 जारी किया गया है।

इस प्रकार जुर्र प्रतिवेदन में अंकित अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 का उल्लंघन कर वन अपराध किया गया है। जो कानूनन जुर्म है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अपराध प्रतिवेदन के आधार पर वनवाद अंकित करने की कृपा की जाय। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन जाँचोपरांत द्वारा उचित माध्यम माननीय न्यायालय में समर्पित किया जायेगा।

अनुलग्नक :-

- 1) जुर्र प्रतिवेदन संख्या 4692 दिनांक 18.08.2025 का मूल प्रति।

आपका विश्वासी

Asst. Commr. Forest

28/09/2024

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर,
मैक्लुस्कीगंज

उपरि लिखित :- वन क्षेत्र पदाधिकारी वृद्ध
वन क्षेत्र अण्डा की सुरजीत एवं
श्रावण 3 कावरी हेतु समर्पित।

Asst. Commr. Forest

प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी

08/10/2025
प्रतिपत्र:-

10/10

08/10/2025



कार्यालय-वन क्षेत्र पदाधिकारी

बुढ़मू वनक्षेत्र माण्डर

पत्रांक / शाखांक 636 दिनांक 08/10/2025

वन प्रमोडन पदाधिकारी, बुढ़मू वन प्रमोडन, शंभरी
को आग्रह करने के द्वारा आग्रह के साथ
आवश्यक कार्रवाई हेतु
वेकिल

08/10/2025
वन क्षेत्र पदाधिकारी
बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर

शेखा में

वन परिसर पदाधिकारी
खलारी वन परिसर मैक्सुल्कीगंज

महाराज

यूना प्रात हुई कि चामा पीण्ड में कुछ लोहे के द्वारा वृक्षों में पेट से कुछ लिखने का काम किया जा रहा है। स्थल पर जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में पार गिरा द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया था। लाइन के नीचे में अपने बाले वृक्षों का नंबरिंग किया जा रहा है। इसी दौरान देखा कि चामा पीण्ड में दो जगह विद्युत धार का निर्माण हेतु वन भूमि में फाउंडेशन का कार्य किया गया है। प्रयोज्य अभिकरण के कार्यों / पदाधिकारियों से वन भूमि में कार्य करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई। परन्तु वे अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सके।

पार पृष्ठ में अंकित अभियुक्त के द्वारा वन भूमि में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के काम कराया गया है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33(3) उल्लंघन है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उागे की उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

आपका विश्वासी

Arjun Kando

(अधुश्रीक रुडा)

क 2- खलारी वन परिसर

मैक्सुल्कीगंज

दिनांक - 18/08/25

अनुसूची XVIII प्रपत्र संख्या 21(ग), वन विभाग, बिहार
राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा 4692

(नोट 1- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के 24 घण्टे के अन्दर वाकिल करना चाहिए।)

जर्म नम्बर... 4692

दिनांक... 18/08/2008

1. घटना स्थल - जामा पी. एफ.
2. पकड़ने का स्थान और तारीख - जामा पी. एफ. दिनांक - 18/08/08
3. अपराधी का नाम और पता -

① श्री सुमन सिंह, परियोजना प्रबंधक
के. ड. सी. इंटरनेशनल लिमिटेड

4. जप्ती माल, अमर कोई - X

5. जप्ती माल का ज़िमेदार - X

6. बवाह का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर -

① श्री मनोज कुमार व. सं. खजारी वन परिसर, तकी प्रभुपुर

② श्री सुनील एक्का व. सं. खजारी वन परिसर, सुनील एक्का

7. स्वतंत्र बवाह / समिति का अध्यक्ष / मुखिया / सरपंच का नाम एवं पता तथा हस्ताक्षर -

8. तकसीब और ध्यान प्रतिवेदन - X

कृप्या उल्टे पृष्ठ पर देखें



कार्यालय :- वन प्रमंडल, राँची वन प्रमंडल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची (आरखड)

E-mail : dforanchi2@gmail.com Ph. No. 0651-2482386

स्वीकृत, धारित एवं रिक्ती से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2017

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ती	अभियुक्ति
1	2				8
1	सहायक वन संरक्षक	2	1	1	
2	प्रधान लिपिक	1	1	0	
3	सहायक लिपिक	12	12	0	
4	वनक्षेत्र पदाधिकारी	7	6	1	श्री ए० के० नजूल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलांग को कांठे प्रक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
5	वनपाल	23	18	5	
6	वनरक्षी	147	10	137	
7	आदेशपाल	14	10	4	
8	डाकवाला	2	2	0	
9	चौकीदार	7	6	1	
10	माली	5	5	0	
11	स्वीपर	1	0	1	
12	चालक	1	0	1	
13	प्रारूपकार	1	0	1	
14	अमीन	2	1	1	
		225	72	153	

ज्ञापांक 423 दिनांक 2-2-2017

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को कृपया सूचनाार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

c/c

वन प्रमंडल पदाधिकारी
राँची वन प्रमंडल, राँची

430



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक— 86 मेदिनीनगर, दिनांक:— 05/02/2026

सेवा में,

*Babe
05/2/26*

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

Proposal for seeking Ex-post facto approval of the central Government under Section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area : 163.5868 ha) forest land in favour of M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line uner Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Division in Latehar, Ramgarh and Ranchi District of Jharkhand state (FP/JH/TRANS/32955/2018)

प्रवदीय का झापांक 38 दिनांक 22.01.2026 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 373 दिनांक 04.02.2026

*विषय :-
350
06/02/2026*

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित परियोजना में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का फाईल न0 (FP/JH/TRANS/32955/2018) दिनांक 12.01.2026 द्वारा सात बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, किये गये पृच्छा निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त है जो अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गयी पृच्छा संख्या-8 इस कार्यालय से संबंधित है जिसका निराकरण कर दिया गया है जो निम्नवत है:-

क्र0	किये गये पृच्छा	निराकरण
6.	the recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	Form-A, Part-III में तत्कालीन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा अनुशंसा की गयी है जो परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण एवं अंकित टिप्पणी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03/10/2025 को किये गये निरीक्षण टिप्पणी तथा अनुशंसा अपलोड करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*वन संरक्षक,
05/02/26*
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
*Bani
5/2/26*

(72)

SITE INSPECTION REPORT OF CONSERVATOR OF FORESTS,
Territorial circle, Medininagar

A. details of the Project:

- i. Name of Project : 400 kV D/c Patraru-Latehar Transmission Line
- ii. Proposal No: FP/JH/TRANS/32955/2018
- iii. Proposed Area :- 55.865 Ha (Notified Forest land-52.704 Ha, Jungle Jhari Land-3.161 Ha.)
- iv. User Agency: JUSNL

B. Details of Site Inspection: -

- i. Date of Site Inspection: - 03/10/2025
- ii. Other Members present during the inspection
 - a. Sri Prawesh Agrawal, Divisional Forest Officer, Latehar Forest Division
 - b. Kumar Abhishek, DGM, Power Grid.
 - c. Shekhar Kapoor Shashi, DGM, Power Grid.
 - d. Umesh Prasad Singh, GM, JUSNL, Daltonganj.
 - e. Rakesh Kumar, DGM, JUSNL, Daltonganj.
 - f. Anuj Kumar Kukriti, Sr. Manager, JUSNL, Latehar
 - g. Nand Kumar Mahto, Range Forest Officer, Latehar
 - h. Anil Kumar, Incharge Forester
 - i. Umesh Kumar, Incharge Forester
 - j.* Alok Tigga, Incharge Forester
 - k. Sumit Kumar, Forest Guard
 - l. Anurag Pandey, Forest Guard

C. General description of proposal and forest land proposed for diversion: - The proposed Patraru Latehar 400 KV D/C Transmission Line covers a total area 278.764 ha. The proposal has been submitted with revised land schedule for diversion of 55.865 ha of forest land (including Jungle Jhari Land) for Transmission Line in Latehar & Chandwa forest range of Latehar Forest Division.

D. Wildlife Habitat: - The Proposed area does not fall within any protected area under the wildlife Protection Act, 1972. It is not located within any Tiger Reserve or Eco-Sensitive Zones of National Parks/Wildlife Sanctuaries. No unique species of flora and fauna were reported to be found in the proposed area. Important wild animals generally found in and around the

28

proposed area are Elephant, Hyaena, Jackal, Fox, Hare, Cobra, Mongoose, Krait, Python, Porcupine, Pangolin etc. The forest area proposed for diversion is ecologically significant from a wildlife conservation perspective as it supports rich floral & faunal diversity. Therefore, a comprehensive site-specific wildlife Management Plan is recommended for mitigation the consequent impacts (both short term and long term) on wildlife.

- E. **Tree Felling:** The proposed transmission line project involves felling of about 4657 trees as reported by DFO.
- F. No Protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area.
- G. The additional details are included in the field inspection report of the Divisional Forest Officer, Latehar Forest Division.

Hence a total of 55.865 ha of forest land proposed for diversion is recommended.

Pravesh Agrawal
Pravesh Agrawal, I.F.S.
Conservator of Forests,
Territorial Circle, Medininagar.

724
17

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

Sl. No.	Project Details	Particulars
1	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forest (yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Yes. (18.06.2019) (site inspection note enclosed)
2	Whether the concerned Conservator of Forests agrees with the information given in part II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests	Yes.
3	Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	Laying of transmission line is related to infrastructural development which is essential for national growth. Hence the forest land proposed for diversion in recommendation for acceptance.
	Signature:- Name:- Official seal:- Date:- Place:-	 (Kumar Manish Arvind) Conservator of Forests, Territorial Circle Medininagar 21.06.2019 Medininagar

123

**Comments of Conservator of Forests, Territorial Circle,
Medininagar-Cum-Deputy Chief Wildlife Warden, Medininagar.**

Some portion of mauzas Navadih, Bariyatu jageer, Duruwa, Bajkum, Rajhar, Tupukhurd, Godna, Parsahi, Jalta included in the proposed areas to be diverted in this proposal fall within 10 Km radius around the Palamu Tiger Reserve. Hence these areas fall under the Eco-Sensitive Zone. No unique species of flora and fauna were reported to be found in the proposed area. Important wild animals generally found in and around the proposed area are Hyaena, Jackal, Fox, Hare, Cobra, Mongoose, Krait, Python, Porcupine, Pangolin etc.

Dated 21.06.2019


(Kumar Manish Arvind)
Conservator of Forests-cum-Dy-CWLW
Territorial Circle, Medininagar.
Conservator of Forest
Territorial Circle
Medininagar



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक- 113

मेदिनीनगर, दिनांक:- 14.02.2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषय :- Proposal for seeking Ex-post facto approval of the central Government under Section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area : 163.5868 ha) forest land in favour of M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line uner Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Division in Latehar, Ramgarh and Ranchi District of Jharkhand state (FP/JH//TRANS/32955/2018)

प्रसंग :- भवदीय का झापांक 38 दिनांक 22.01.2026, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 373 दिनांक 04.02.2026, प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक ER-1/RNC/JCP/PLTL/Forest दिनांक 12.02.2026 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित परियोजना में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का फाईल नं० (FP/JH//TRANS/32955/2018) दिनांक 12.01.2026 द्वारा सात बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, किये गये पृच्छा निराकरण प्रतिवेदन के साथ ग्राम-किता, थाना-बालूमाथ, थाना संख्या-258, रकबा-53.28 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु Village Map, KML File, Suitability Certificate एवं प्राक्कलन इस कार्यालय का पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2026 द्वारा भेजी गयी है।

पुनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल से प्राप्त ग्राम-किता का DGPS Map, Topo Map पांच प्रतियों में एवं KML File एक पेनड्राईव में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ।

वन भवन, ब्लॉक-‘ए’ पुस्तलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email - cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० - 8987790301



पत्रांक : 134 दिनांक 20.02.2026

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

-सह-

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची।

400 के०वी० पतरातु से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 12.247 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

भवदीय का कार्यालय झापांक 38 दिनांक 22.01.2026 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का कार्यालय पत्रांक 261 दिनांक 17.02.26.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/32955/2018, दिनांक 12.01.2026 द्वारा विषयगत परियोजना में कुल 7 बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए निराकरण प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्राप्त है। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिससे अघोहस्ताक्षरी सहमत हैं। बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

Sl. No.	Query raised by MoEF& CC, IRO, Ranchi	Reply
1	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provision of the Van (San Rakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	To be replied by Nodal Office.
2	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Snarakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NoC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	UA has submitted that NOC for Jungle Jhari Area has been obtained for all 3 District. Same has been uploaded in Additional Documents under Part-I.
3	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission	As soon as violation in Ramgarh Forest Division part was detected and responsible officers and personnel were identified,

739


Sl. No.	Query raised by MoEF & CC, IRO, Ranchi	Reply
	Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. official under 3A & 3B of Van Adhiniyam, 1980 indicating details chronology of the event for allowing use of forest land without permission.	<p>complaint case no-46/2025 was filed on 15.01.2025 under provision of Indian Forest Act, 1927. Complete prosecution was sent to court on 08.09.2025. The case is in hearing stage. As per prosecution report, total of 0.12 ha of land was found broken for construction of towers.</p> <p>Field functionaries- Forest guard, Forester and Range officer, during the period when violation happened has retired before violation was detected via Google earth imagery. As violation in this division was over smaller area it cannot be detected by current DFO in general oversight.</p> <p>The action under section 3A & 3B of Van Sanrakshan Adhiniyam, 1980 doesn't arise as neither forest official ever allowed any formal work nor any stage-I for the same project has been approved. Thus, no violation of Van Sanrakshan Adhiniyam, 1980 arises.</p>
4	The DFO Ranchi in their Part-II reported that the forest area under violation as 0.25 ha and period of violation mentioned as 9.5 years further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त, 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.	To be replied by DFO, Ranchi.
5	The DFO, Latehar Forest Division in Part-II of the proposal reported that the presence of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification	To be replied by DFO, Latehar.
6	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	To be replied by CF, Daltonganj.
7	As per DSS analysis, following has been observed.	
7(i)	The KML file of forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	UA has submitted that some patches of KML file of diverted forest land under Ramgarh forest division was not visible due to some technical glitch. The glitch in KML has been removed. It has been re-uploaded in Part-I of the proposal.

Sl. No.	Query raised by MoEF & CC, IRO, Ranchi	Reply
7(ii)	It is observed that in the Ramgarh Forest Division, Total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	KML file for CA land (29.44 Ha) has been uploaded earlier on PARIVESH portal. Due to some technical glitch, it was only showing as 13.39 ha. Therefore, KML file for CA land is being uploaded again in PARIVESH portal and it is also provided in pen drive for easy assistance.
7(iii)	As per the DSS analysis the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and is one CA patch the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	The CA land was reviewed again. In patch of Koto village (3.82 Ha) some Soil Moisture Conservation work (contour/trench) was done 5 years back under Climate Change Adaptation Project. No plantation has been done on the patch. In patch of Daridih some agricultural activities are ongoing which will be taken under possession during plantation.

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


मुख्य वन निरीक्षक,
प्रदेशिक अंचल, बोकारो।



736

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल गेट, पो-मरार, जिला-रामगढ़ पिन-829117)

Email id - dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

सेवा में,

पत्रांक:- 261

दिनांक:- 17/02/2026

विषय :-

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

400 के०वी० पतरातु से लातेहार ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 12.247 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापक- 38 दिनांक 22.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना के संदर्भ में 07 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसकी उत्तर सामग्री निम्नवत् है:-

Sl.No	Query raised by MoEF& CC, IRO, Ranchi	Reply
1	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provision of the Van (San Rakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	To be replied by Nodal Office.
2	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Snarakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NoC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	UA has submitted that NOC for Jungle Jhari Area has been obtained for all 3 District. Same has been uploaded in Additional Documents under Part-I.
3	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/action taken against the Govt. official under 3A & 3B of Van Adhiniyam, 1980 indicating details. chronology of the event for allowing use of forest land without permission.	As soon as violation in Ramgarh Forest Division part was detected and responsible officers and personnel were identified, complaint case no-46/2025 was filed on 15.01.2025 under provision of Indian Forest Act, 1927. Complete prosecution was sent to court on 08.09.2025. The case is in hearing stage. As per prosecution report, total of 0.12 ha of land was found broken for construction of towers. Field functionaries- Forest guard, Forester and Range officer, during the period when violation happened has retired before violation was detected via Google earth imagery. As violation in this division was over smaller area it can not be detected by current DFO in general oversight.

735

Sl.No	Query raised by MoEF& CC, IRO, Ranchi	Reply
		The action under section 3A & 3B of Van Sanrakshan Adhiniyam, 1980 doesn't arise as neither forest official ever allowed any formal work nor any stage-I for the same project has been approved. Thus, no violation of Van Sanrakshan Adhiniyam, 1980 arises.
4	The DFO Ranchi in their Part-II reported that the forest area under violation as 0.25 ha and period of violation mentioned as 9.5 years further informed that the वनपाल/वनरक्षी द्वारा माह अगस्त, 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया है। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.	To be replied by DFO, Ranchi.
5	The DFO, Latehar Forest Division in Part-II of the proposal reported that the presence of rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.	To be replied by DFO, Latehar.
6	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	To be replied by CF, Daltonganj.
7	As per DSS analysis, following has been observed.	
7(i)	The KML file of forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.	UA has submitted that some patches of KML file of diverted forest land under Ramgarh forest division was not visible due to some technical glitch. The glitch in KML has been removed. It has been re-uploaded in Part-I of the proposal.
7(ii)	It is observed that in the Ramgarh Forest Division, Total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.	KML file for CA land (29.44 Ha) has been uploaded earlier on PARIVESH portal. Due to some technical glitch, it was only showing as 13.39 ha. Therefore, KML file for CA land is being uploaded again in PARIVESH portal and it is also provided in pen drive for easy assistance.
7(iii)	As per the DSS analysis the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and is one CA patch the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.	The CA land was reviewed again. In patch of Koto village (3.82 Ha) some Soil Moisture Conservation work (contour/trench) was done 5 years back under Climate Change Adaptation Project. No plantation has been done on the patch. In patch of Daridih some agricultural activities are ongoing which will be taken under possession during plantation.

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी,

Hitesh
16/2/26

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

(734)



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

19/2/26
सेवा में,

पत्रांक- 113

मेदिनीनगर, दिनांक:- 14.02.2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

Proposal for seeking Ex-post facto approval of the central Government under Section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 126.974 (revised) (earlier proposed area : 163.5868 ha) forest land in favour of M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL) for construction of 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission line uner Latehar, Ramgarh and Ranchi Forest Division in Latehar, Ramgarh and Ranchi District of Jharkhand state (FP/JH/TRANS/32955/2018)

प्रसंग :- भवदीय का ज्ञापांक 38 दिनांक 22.01.2026, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 373 दिनांक 04.02.2026, प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक ER-1/RNC/JCP/PLTL/Forest दिनांक 12.02.2026 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित परियोजना में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का फाईल नं0 (FP/JH/TRANS/32955/2018) दिनांक 12.01.2026 द्वारा सात बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, किये गये पृच्छा निराकरण प्रतिवेदन के साथ ग्राम-किता, थाना-बालूमाथ, थाना संख्या-258, रकबा-53.28 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु Village Map, KML File, Suitability Certificate एवं प्राक्कलन इस कार्यालय का पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2026 द्वारा भेजी गयी है।

पुनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल से प्राप्त ग्राम-किता का DGPS Map, Topo Map पांच प्रतियों में एवं KML File एक पेनड्राईव में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
14/02/26

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

741

ER-1/JCP/TLC/Latehar-Patratu/Forest/10

Date 27.02.2026

To,

The PCCF cum ED, Waste Land Development Board
Ranchi, Jharkhand

[Handwritten Signature]
2/3/26

Subject: - KML files, DGPS maps, SOI topo sheets (soft copies) submissions i.r.o. 400 KV D/C
Latehar-Patratu transmission line - Reg.

Ref Forest Proposal no. - FP/JH/TRANS/32955/2018

With reference to the Forest Proposal no. - FP/JH/TRANS/32955/2018, it is to bring your kind
notice that the compliance of various queries asked by MoEFCC vide letter no. Nil dated
12/01/2026 have been submitted and uploaded on PARIVESH portal on 03/02/2026.


The EDS compliance has been forwarded to your good office by concerned DFO & CF office after
verifying all relevant details.

In view of above, all original KML files, DGPS Maps, SOI topo sheets etc. are submitted herewith
in Pen-drive (4 nos.) for your kind consideration and further needful action please.

Thanking you,

[Handwritten Signature]
S K Shashi
DGM (JCP)

PROPOSED LAND FOR CA IN VILLAGE- KITA, AREA - 37.75 ha. IN RESPECT OF 400 KV D/C PATRATU - LATEHAR LINE



वन भूमि विवरणी
चा.न.प.स.

प्लॉट नं०	रकबा हे०
4 P -	3.99
38 -	14.16
41 -	6.66
1195P -	2.62
71 -	10.33
कुल -	37.75

Kita
रेखणू सभे नाग क्रम नम्बर
कलेक्टरी रेजिस्ट्र नम्बर 346
मशहूर नाम कौता नादा नम्बर
घाना / चन्द्रवा शिक साध नम्बर 73
परगना रोहडा
तप्पा
ज़िला पलामू
पैमाना वरिस्तात फी मील २६ इंच
सन १९१२ - १४ ईस्वी

Pillar No.	Degree, Minute Second	
	Latitude	Longitude
1	23°42' 28.3189"N	84°36' 3.7384"E
2	23°42' 27.9871"N	84°36' 5.3954"E
3	23°42' 27.266"N	84°36' 4.8914"E
4	23°42' 25.6047"N	84°36' 7.968"E
5	23°42' 27.1784"N	84°36' 12.8211"E
6	23°42' 23.9472"N	84°36' 10.6378"E
7	23°42' 24.0575"N	84°36' 9.0908"E
8	23°42' 22.9553"N	84°36' 9.0521"E
9	23°42' 23.2297"N	84°36' 10.1096"E
10	23°42' 22.8469"N	84°36' 11.0151"E
11	23°42' 21.6555"N	84°36' 11.2586"E
12	23°42' 18.1469"N	84°36' 15.7407"E
13	23°42' 18.1477"N	84°36' 17.3953"E
14	23°42' 16.2815"N	84°36' 16.9623"E
15	23°42' 16.3814"N	84°36' 17.5889"E
16	23°42' 18.5583"N	84°36' 18.6056"E
17	23°42' 17.4876"N	84°36' 20.287"E
18	23°42' 14.6109"N	84°36' 18.588"E
19	23°42' 13.8389"N	84°36' 20.0732"E
20	23°42' 10.3764"N	84°36' 19.3929"E
21	23°42' 9.7857"N	84°36' 19.6106"E
22	23°42' 10.4698"N	84°36' 14.5983"E
23	23°42' 9.1487"N	84°36' 13.1793"E
24	23°42' 7.1831"N	84°36' 13.1988"E
25	23°42' 4.9732"N	84°36' 12.7209"E
26	23°42' 4.6135"N	84°36' 15.7933"E
27	23°42' 3.6463"N	84°36' 15.6486"E
28	23°42' 1.0743"N	84°36' 17.5155"E
29	23°41' 59.2252"N	84°36' 20.2515"E
30	23°41' 56.994"N	84°36' 19.0595"E
31	23°41' 54.0743"N	84°36' 22.4907"E
32	23°41' 46.324"N	84°36' 22.4526"E
33	23°41' 47.6924"N	84°36' 17.2174"E
34	23°41' 52.0212"N	84°36' 15.6198"E
35	23°41' 51.3977"N	84°36' 9.1155"E
36	23°41' 52.8283"N	84°36' 7.942"E
37	23°41' 54.4632"N	84°36' 9.5606"E
38	23°42' 0.9675"N	84°36' 9.4256"E
39	23°42' 6.4115"N	84°36' 1.884"E
40	23°42' 9.0578"N	84°36' 2.3269"E
41	23°42' 9.3121"N	84°36' 3.6571"E
42	23°42' 10.8134"N	84°36' 4.5786"E
43	23°42' 17.4984"N	84°36' 4.234"E
44	23°42' 20.93"N	84°36' 3.978"E
45	23°42' 22.8152"N	84°36' 3.0463"E
46	23°42' 24.9386"N	84°36' 3.3507"E
47	23°42' 25.2195"N	84°36' 2.2696"E
48	23°42' 19.0845"N	84°36' 23.1382"E
66	23°42' 5.3924"N	84°36' 23.1431"E
67	23°42' 7.9334"N	84°36' 22.0714"E
68	23°42' 9.1453"N	84°36' 20.7575"E
69	23°42' 11.0024"N	84°36' 20.3868"E
70	23°42' 14.7453"N	84°36' 22.5484"E
71	23°42' 15.9378"N	84°36' 22.2008"E



IN DEX

FOREST BOUNDARY	—
PROPOSED AREA	—
FOREST BOUNDARY PILLAR	○
TRENCH BOUNDARY	—
BARBET BOUNDARY	—

1	महानिधानक	निव.सर्व.रिज.म.भा.ना.स.स.स.
2	मकान म.म.स.	
3	पट्टा कुंवा	
4	कच्चा कुंवा	

LEGEND

PLOT BOUNDARY	—
CA LAND BOUNDARY	—
CORNER POINTS	○ 1,2,etc
C.A. PATCH	—



"Certified that the map and plan are correct and true and that the boundary of the forest is correctly marked as per the records of the Government and the Survey Department and that the same are in accordance with the provisions of the Forest Act, 1907 and the Forest Rules, 1907."

Divisional Forest Officer
Latehar Forest Division

**PROPOSED LAND FOR CA IN VILLAGE- KITA, AREA - 15.53 ha.
IN RESPECT OF 400 KV D/C PATRATU - LATEHAR LINE**



अनुसूचक - 3A

वन अधि विवरणी
लॉट नं. रकबा हे.
186P 15.53
कुल - 15.53

IN DEX

FOREST BOUNDARY	
PROPOSED AREA	
FOREST BOUNDARY	
TRENCH BOUNDARY	
BARBET BOUNDARY	

Kita
वैद्युत सर्किट नाम और नम्बर
कलैक्टर रजिस्ट्रार नम्बर 320
मशहूर नाम कौता नम्बर 2
शाना (नम्बर) बालुमाछ नम्बर 23
परगना: टांड़ा
तप्पा
ज़िला पलामू
पैमाना बहिमाव फी मील १६ ईंच
सन १८९३-१४ ईस्वी


नम्बर	नाम प्रेम प्रदूर
११२	टोला कुडीला
२३२	टोला नवा टोला
२६२	आखा
६३	दालानवाच ४० मील

सिकना

नम्बना पलामू

1	मशहूर नाम	मशहूर नाम
2	मशहूर नाम	मशहूर नाम
3	मशहूर नाम	मशहूर नाम
4	मशहूर नाम	मशहूर नाम

Made and Published Under The Authority of Government.




Pillar No.	Degree, Minute Second	
	Latitude	Longitude
49	23°42' 18.3196"N	84°36' 26.7944"E
50	23°42' 18.3852"N	84°36' 29.9111"E
51	23°42' 17.6637"N	84°36' 30.1705"E
52	23°42' 15.7611"N	84°36' 32.7856"E
53	23°42' 15.4815"N	84°36' 35.8152"E
54	23°42' 16.7978"N	84°36' 37.2608"E
55	23°42' 14.1349"N	84°36' 38.5479"E
56	23°42' 12.1439"N	84°36' 38.3099"E
57	23°42' 9.7887"N	84°36' 35.4988"E
58	23°42' 8.7655"N	84°36' 35.7518"E
59	23°42' 7.2633"N	84°36' 34.2758"E
60	23°42' 5.7122"N	84°36' 35.8552"E
61	23°42' 3.6405"N	84°36' 36.6314"E
62	23°42' 2.6006"N	84°36' 35.9462"E
63	23°42' 4.7434"N	84°36' 29.6041"E
64	23°42' 6.6116"N	84°36' 27.0643"E
65	23°42' 3.9771"N	84°36' 26.2181"E

Praveshy Dharwal
IFS
Divisional Forest Officer
Latehar Forest Division

MAJOR FOREST OFFICER
BHANDARA RANGE

बुलह

Scale 16" = 1 Mile



T. W. Bridge
Superintendent of Survey


Scale 16" = 1 mile or 1:3960



LEGEND

PLOT BOUNDARY	
CA LAND BOUNDARY	
CORNER POINTS	
C.A. PATCH	

PROPOSED LAND FOR CA KITA VILLAGE, AREA - 53.28 Ha. UNDER LATEHAR FOREST DIVISION IN RESPECT OF 400 KV D/C PATRATU - LATEHAR LINE



CA LAND LOCATION

